

प्रश्न सं. [क. 3356]

पारिश्रमिक

अंक. ५.९- 335८

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल दिनांक 01/10/2023

क्रमांक F-REV/3/0002/2023/सात-4, राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश के ग्राम कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाकर निम्नानुसार पारिश्रमिक भुगतान करने की स्वीकृत दी जाती है :-

स.क्र.	कोटवारों की श्रेणी	वर्तमान दरें	नवीन दरें
01.	जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है।	राशि रुपये 4000/- प्रतिमाह	राशि रुपये 8000/- प्रतिमाह
02.	जिनके पास 03 एकड़ तक सेवा भूमि है।	राशि रुपये 1000/- प्रतिमाह	राशि रुपये 2000/- प्रतिमाह
03.	जिनके पास 03 एकड़ से 7.5 एकड़ तक सेवा भूमि है।	राशि रुपये 600/- प्रतिमाह	राशि रुपये 1200/- प्रतिमाह
04.	जिनके पास 10 एकड़ तक सेवा भूमि है।	राशि रुपये 400/- प्रतिमाह	राशि रुपये 1000/- प्रतिमाह

2/ ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, उनके मासिक पारिश्रमिक में वित्त विभाग से परामर्श के अनुसार रुपये 500/- प्रतिवर्ष वृद्धि की जाएगी। उक्त पारिश्रमिक का व्ययभार मांग संख्या-8-शीर्ष 2053 जिला प्रशासन/094/अन्य स्थापना/441/आदेशिका वाहक स्थापना-12-मजदूरी आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा। यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद निर्णय दिनांक 26/09/2023 के अनुक्रम में दी गयी है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश कुमार मौर्य)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 01/10/2023

पृ० क्रमांक F-REV/3/0002/2023/सात-4,
प्रतिलिपि:-

- 1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
- 2/ मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
- 3/ अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग / वित्त विभाग।
- 4/ प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स भोपाल।
- 5/ आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 6/ समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
- 7/ समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
- 8/ श्री हरवीर सिंह यादव, मध्यप्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ, यादव फार्म हाउस-जवाहर नवोदय विद्यालय के पास, वी.जी. रोड, गुना मध्यप्रदेश।
- 9/ आर्डर बुक।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्य प्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 5/10/2023

क्रमांक F-REV/3/0002/2023/सात-4 राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि कोटवार के सेवामुक्त होने पर रूपये एक लाख की राशि दी जावे। पदत्याग करने अथवा सेवा समाप्ति किये जाने की स्थिति में उक्त राशि देय नहीं होगी।

2/ इसका व्ययभार मांग संख्या-8-शीर्ष 2053 जिला प्रशासन/094/अन्य स्थापना/ 441/ आदेशिका वाहक स्थापना-12-मजदूरी आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा। यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद निर्णय आयटम क्रमांक 58 दिनांक 04.10.2023 के अनुक्रम में दी गयी है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(दिनेश कुमार मौर्य)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक F-REV/3/0002/2023/सात-4

प्रतिलिपि-

- 1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल।
- 2/ मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
- 3/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/उप सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग/वित्त विभाग।
- 4/ प्रमुख राजस्व आयुक्त, अरेरा हिल्स भोपाल।
- 5/ समस्त संभागायुक्त म.प्र.।
- 6/ आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर।
- 7/ समस्त कलेक्टर म.प्र.।
- 8/ श्री हरवीर सिंह यादव, म.प्र.आजाद कोटवार कर्मचारी संघ, यादव फार्म हाउस जवाहर नवोदय विद्यालय के पास, बी.जी. रोड गुना म.प्र. ।
- 9/ आर्डर बुक।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग